

कार्यालय आयुक्त
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा
6वीं मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)

ई-मेल : dme12001@yahoo.com

वेबसाइट: www.medicaleducation.mp.gov.in

Dated-02.09.2024

ई0डब्ल्यू0एस0 अभ्यर्थियों के लिये आवश्यक सूचना
मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय संयुक्त काउंसिलिंग नीट यू0जी0 2024-25

स्कूटनी प्रोफार्मा-1 के बिन्दु क्रमांक 7 पर ई0डब्ल्यू0एस0 अभ्यर्थियों से 01 जनवरी 2024 या उसके पश्चात् जारी किया गया प्रमाण पत्र चाहा गया है।

इस संबंध में ई0डब्ल्यू0एस0 के अभ्यर्थियों को पुनः सूचित किया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र में यह स्पष्ट हो कि जारी प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2023-2024 में परिवार की कुल वार्षिक आय के आधार पर जारी किया गया है तथा वित्तीय वर्ष (Academic Year) 2024-2025 के लिये मान्य है, प्रस्तुत करना होगा।

आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश के समय उक्त प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने पर इस संबंध में रू0 100/- के नोन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि अभ्यर्थी 12 सितम्बर 2024 तक उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र आवंटित महाविद्यालय में प्रस्तुत करेगा अन्यथा अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त किया जावेगा।

Alav
2-9-24
संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्य प्रदेश